

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

38

R 155-I17



सोहराव खान बल्द गुलशेर खान,

साकिन- धरमपुरा वार्ड दमोह तहसील व जिला दमोह

----- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन

----- उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता विरुद्ध पुनरीक्षण क्रमांक-5 अ/68 वर्ष 2015-16 आदेश दिनांक-26/09/2016 पारित द्वारा श्रीमान् अपर कलेक्टर दमोह पक्षकार सोहराव खान बनाम् शासन जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण निरस्त कर दी गई है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

ग्राम धरमपुरा हल्का नंबर 16 तहसील व जिला दमोह के खसरा नंबर 193 रकवा 0.162 हे0 भूमि में 9 X 9 मीटर पर पुनरीक्षण का अवैध कब्जा (अतिक्रमण) बताते हुए हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर धारा 248 का प्रकरण तहसीलदार दमोह पंजीबद्ध किया गया जिसमें तहसीलदार महोदय पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर न देतु हुए बिना साख्य लिये बिना किसी गार्डलाइन का उपयोग करते हुए मनमाने तरीके से अर्थदंड अधिरोपित कर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने एक राजस्व अपल श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष प्रस्तुत की है । जिसमें पुनरीक्षणकर्ता ने धारा 49 म.प्र.भूराजस्व संहिता के तहत साक्ष्य लेकर निराकरण करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें बिना विचार किये ही अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने दिनांक- 26/03/2015 निरस्त कर दिया ।

उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने एक पुनरीक्षण क्रमांक- अ/68 वर्ष 2015-16 प्रस्तुत की गई जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बगैर ही बिना किसी उचित आधार पर पुनरीक्षण निरस्त कर दी गई ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-155-एक/2017

जिला दमोह

सोहराव विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 5/अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की</p>	

hym.  
4.1.19

2

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

5

(आर.के. जैन)  
सदस्य 4.1.19